Department of Commercial Tax Government of Jharkhand



DIPP Point No. 193

Question	Remarks
8. Online tax return filing	
	Circular no 2022 dated 29/06/12 available
Q: Design and implement a system for Value	
Added Tax (VAT) to be filed online	

URL:

http://eseva.jharkhandcomtax.gov.in/Portal/main.htm?actionCode=showHomePageLnclick

Demo Dealer login provided for evaluation (System is live since 2012):


URL: esevademo.jharkhandcomtax.gov.in/ Username: vishnudevk7@gmail.com


Password: Password@3



Department of Commercial Tax Government of Jharkhand







Department of Commercial Tax Government of Jharkhand



झारखण्ड सरकार वाणिज्य-कर विभाग

पत्र शंख्या - वाककर/कम्प्,/03/2012- 2022 /शंबी, दिनांक - 29 6 12 प्रेयक.

मस्त राम भीणा, सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(अपील)/(बेट ऑडिट), सभी वाणिज्य-कर अंबल प्रमारी।

थिनय:- आरखण्डः मूल्यवर्द्धिंक कर नियमावर्ती, 2008 के नियम 14 (12) (i) के अधीन ऑनलाईन विवरणी समर्पित करने, नियम 15 (a) (f) के अधीन ऑन-लाईन भुगतान समर्पित करने तथा नियम 3A (vi) के अधीन ऑन-लाईन नियंधन आयेवन समर्पित करने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के संबंध में।

प्रसंग:- विद्यागीय परिपत्र संख्या 4284 (अनु०) दिनांक 20.10.2010, 4767 दिनांक 08.12.2010 तथा 1683 (अनु०) दिनांक 05.07.2011

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिकी कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली लागू की गयी हैं। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है, ताकि स्वतः—रफूर्त, चारदर्शी, राजस्योन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Douber-Hossily) कर—व्यवस्था स्थापित हो। उयत स्वधालित प्रक्रिया के किम में विभागीय प्रक्रियाचे यक्षा— निबंधन प्रभाण प्रत्र निर्मत करना, विवर्यायों समर्पित करना तथा कर—भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्तित करने हेतु प्रारागिक परिपत्रों द्वारा कमशः ऑन—लाईन विवरणी समर्पित करने, ऑन—लाईन कर पुगतान करने तथा ऑन—लाईन निबंधन अर्थदन समर्पित करने की प्रक्रियार्थ विहित की गयी हैं।

राज्य के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वर्ष 2012 को "e-governance year" घोषित किया जाय। जर-प्रेशासन व्यवस्था को प्रातः पारदर्शी एवं व्यवसायी अनुकृत बनाने हेत उपरोक्त वर्णित तीनों प्रमुख विभागीय प्रक्रियाओं

- ऑन—लाईन विवरणी समर्पित करना, (Online Filing of Returns)
- ऑन-लाइन कर भुगतान करना, (Online Payment of Taxes)
- ऑन-लाईन निबंधन आवेदन समर्पिश करना(Online Submission of Application for Registration)

को पूर्णत अनिवार्य किया जाय।

Circular mentioning online filing of returns



The second of th

् झारखण्ड सरकार वाणिज्य-कर विभाग

पत्र संख्या - वाठकर/कम्प्यू/03/2012- 2022 /रॉबी, दिनांक -29/८/12

मस्त राम गीणा, सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (अपील) / (बेट ऑडिट), सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

विषय:- आरखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावर्ती, 2006 के नियम 14 (12) (i) के अधीन ऑनलाईन विवरणी समर्पित करने, नियम 15 (6) (f) के अधीन ऑन-लाईन भुगतान समर्पित करने तथा नियम 3A (vi) के अधीन ऑन-लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय परिपत्र संख्या 4284 (अनु०) दिनांक 20.10.2010, 4767 दिनांक 09.12.2010 तथा 1663 (अनु०) दिनांक 05.07.2011

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिछी कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली को अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है, ताकि स्वतः—स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-Trionally) कर—व्यवस्था स्थापित हो। उक्त स्वचालित प्रक्रिया के कियान्वयन के कम में विभागीय प्रक्रियाएं यथा— निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, विवरणियाँ समर्पित करना तथा कर—भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्त्तित करने हेतु प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा कमशः ऑन—लाईन विवरणी समर्पित करने, ऑन—लाईन कर भुगतान करने तथा ऑन—लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रकियाएं विहित की गयी है।

राज्य के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वर्ष 2012 को "e-governance year" घोषित किया जाय। कर—प्रशासन व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी एवं व्यवसायी अनुकृत बनाने हेत् उपरोक्त वर्णित तीनों प्रमुख विभागीय प्रक्रियाओं—

- ऑन-लाईन घिवरणी समर्पित करना, (Online Filing of Returns)
- ऑन-लाईन कर भुगतान करना, (Online Payment of Taxes)
- ऑग-लाईन निबंधन आदेवन समर्पित करना(Online Submission of Application for Registation)

को पूर्णत अनिवार्य किया जाय।

निकट भविष्य में लागू होने घाली 'वस्तु एवं संवा कर प्रणाली' के लिए उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं का पूर्ण डाटावेस होना अतिआवश्यक है।

जनत जदेश्य से दिनांक 01.07.2012 से उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को पूर्णतः अनिवार्य यनाया जाता है। प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा विहित संबंधित प्रक्रियाएं यथावत् रहेगी।

इसके अतिरिवत समय-समय पर e-governance के ख़देश्य से यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्णन करने हेतु गार्गदर्शन निर्गत किये जा संबंगि।

and the second s

The part of the state of the

The state of the s

The Residence of the State of t

विश्वासभाजन

सरकार के अधिव।



MIS Data Showing Online tax return filing (VAT)

